राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	283 / 2024	अरविन्द कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर। 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू।
2.	306 / 2024	संतोष कुमारी	
3.	307 / 2024	मुकेश कुमार	
4.	310 / 2024	रसीद अली	
5.	312 / 2024	नानची	
6.	314 / 2024	शमसाद अली	
7.	317 / 2024	सज्जन सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर। 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू। 3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति अलसीसर जिला झुंझुनू।

आदेश की दिनांक : 29.02.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सलीम खान एवं श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण पंचायत समिति अलसीसर में कार्यरत है एवं सभी अपीलार्थीगण का एक ही स्थानांतरण आदेश से स्थानांतरण हुआ है। सभी अपीलों में अपीलार्थीगण ने समान आधार किये हैं। इस कारण से सभी अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है।
3. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीगण का स्थानांतरण जिला परिषद झुंझुनू द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2024 द्वारा निम्न प्रकार से किया गया है :–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	कहां से	कहां को
1.	अरविन्द कुमार	क.सहा.	ग्राम बाजला, प.स. अलसीसर	प.स. खेतड़ी
2.	संतोष कुमारी	क.सहा.	ग्रा.प. अलसीसर	पं.स. बुहाना

3.	मुकेश कुमार	क.सहा.	ग्रा.पं. हॅसासरी, पं.स. अलसीसर	पं.स. बुहाना
4.	रसीद अली	क.सहा.	पं.स. अलसीसर	पं.स. खेतडी
5.	नानची	क.सहा.	ग्रा.पं. मांगियासर, पं.स. अलसीसर	पं.स. खेतडी
6.	शमसाद अली	क.सहा.	ग्रा.पं.टगकोर पं.सं. अलसीसर	पं.स. सिंघाना
7.	सज्जन सिंह	क.सहा.	ग्रा.पं. डाबडी धीरसिंह, पं.सं. अलसीसर	पं.स. बुहाना

4. अपीलार्थीगण का मुख्य रूप से तर्क कि अपीलार्थीगण का स्थानांतरण पंचायत समिति अलसीसर से अन्य पंचायत समिति में किया गया है, परंतु अपीलार्थीगण के स्थानांतरण किये जाने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–89(8) की अवहेलना की गई है। उनका तर्क है कि अपीलर्थीगण का स्थानांतरण किये जाने से पूर्व सम्बन्धित पंचायत समितियों के प्रधानों से परामर्श नहीं लिया गया। अपीलार्थीगण की ओर से ग्राम पंचायत अलसीसर की पंचायत समिति की स्थापना समिति की बैठक दिनांक 19.02.2024 की बैठक की मिनिट्स की प्रति भी पेश की है, जिसमें पंचायत समिति अलसीसर के प्रधान से सहमति नहीं लिया जाना माना गया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत WLN(UC)(Raj)2011 page 197 मोहन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि ग्राम सेवक का एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण प्रधान से बिना परामर्श के किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग ने आदेश दिनांक 04.09.2006 जारी किया है, जिसमें स्थानांतरण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये हैं, जिस आदेश का मद संख्या–2 निम्न प्रकार से है :–

> ''2. जिले के कार्मिकों के स्थानान्तरण जिले के अन्दर एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में करने के लिये जिला स्थापना समिति की सहमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी सक्षम है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्रधान की सहमति लिया जाना आवश्यक है।''

5. उपरोक्त आदेश के आधार पर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान सरकार ने उक्त आदेश दिनांक 04.09.2006 में यह स्पष्ट किया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण करने के लिये संबंधित प्रधानों से सहमति लिया जाना आवश्यक है। वर्तमान में पंचायत समिति अलसीसर के प्रधान से कोई सहमति नहीं लिया जाना स्पष्ट है। ऐसे में अपीलार्थीगण का स्थानांतरण आदेश नियमों की अवहेलना

करते हुए पारित किया गया है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने स्थानांतरण आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि कनिष्ठ सहायक का पद स्थानान्तरणीय पद है तथा स्थानान्तरण सेवा की एक सामान्य प्रकिया मात्र है। कोई भी कार्मिक विशेष रूप से यह मांग नही कर सकता कि उसे उसके इच्छित स्थान पर ही पदस्थापित रखा जावे यह नियोक्ता का विवेकाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब कहां और केसे लेवे विवेकाधिकार को व्यक्तिगत कठिनाईयो के आधार पर चुनौती देने का अधिकार अपीलार्थी को नही है। राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार एंव समन्वय (अनुभाग–1) विभाग के आदेश 8.02.2024 एवं 21.02.2024 तथा पंचायती राज विभाग द्वारा समय समय पर पारित आदेश एवं निर्देश और जिला परिषद झुंझूनू की प्रशासन एवं स्थापना समिति बैठक दिनांक 13.02.2024 के निर्णय की अनुपालना मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुंझुनू द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2024 पारित किया गया है, जो कि पुर्णतया सक्षम अधिकारिता के अन्तर्गत होने से अपीलार्थी की हस्तगत अपील मय कोस्ट के काबिल निरस्त योग्य है जो निरस्त फरमाई जावे। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89(8) में नियुक्तियों का प्रावधान है। धारा 89(8) में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। वर्तमान आदेश चूंकि स्थानांतरण से संबंधित है, ऐसे में अपीलार्थीगण के संबंध में धारा 89(8) का प्रावधान नहीं पढ़ा जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान 1996 के नियमों में रखा गया है। इससे संबंधित नियम राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 के नियम–289 व 290 है। नियमों में संबंधित प्रधानों से परामर्श किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अपीलार्थीगण का स्थानांतरण उचित है।

7. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

8. वर्तमान आलोच्य आदेश के जरिये अपीलार्थीगण को नई पंचायत समितियों में स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति दी गई हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(8) स्थानांतरण आदेश से नियुक्ति के संबंध में है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान आलोच्य आदेश में धारा

89(8)(ii) लागू नहीं होती। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(8)(ii) का प्रावधान निम्न प्रकार से है :–

> ''(8) नियुक्तियां :–
> (i)...........
> (ii) स्थानान्तरण द्वारा, उन पंचायत समितियों या जिला परिषदो के प्रधानों या, यथास्थिति, प्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात की जाएगी, जिनमें ऐसा स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।''

9. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि जहां नियुक्ति स्थानांतरण के द्वारा की गई है, उन मामलों में जब एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में नियुक्ति दी गई है, तो ऐसी नियुक्ति संबंधित पंचायत समिति के प्रधान से परामर्श किये जाने के पश्चात की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत WLN(UC)(Raj)2011 page 197 मोहन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य में भी यही मत दिया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण पर दोनों पंचायत समितियों के प्रमुख से परामर्श किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीगण ने यह प्रकट किया है कि पंचायत समिति अलसीसर, जहां अपीलार्थीगण पदस्थापित है, वहां के प्रधान से सहमति नहीं ली गई है। ऐसे में यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थीगण के स्थानांतरण में धारा 89(8)(ii) की अवहेलना की गई है।
10. परिणामस्वरूप उपरोक्त समस्त अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अपलार्थीगण की हद तक आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.02.2024 (अनुलग्नक–1) अपास्त किया जाता है।
11. मूल आदेश अपील संख्या 283/2024 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपरोक्त वर्णित तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों में रखी जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)